न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

मुकदमा न0 विविध 197 / 2022

प्रार्थी :–

1. देरामराम पुत्र गोबरराम जाति गवारिया निवासी कल्याणपुर
   तह0 कल्याणपुर जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थी :– 1. राजस्थान सरकार जरिये भू धारक तहसीलदार कल्याणपुर

<u>आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0–राजस्व अधिनियम 1956</u>

<u>वास्ते रेकर्ड दुरूस्ती</u>

उपस्थित :– 1. प्रार्थी स्वंय

<u>आदेश</u>

दिनांक :– 27.7.2022

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 के फलोऑप शिविर में पेश कर जाहिर किया कि मौजा कल्याणपुर पटवार क्षेत्र कल्याणपुर भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर में प्रार्थी के खातेदारी भूमि के खेत खसरा संख्या 1036 / 337 व खाता संख्या 314 में प्रार्थी का नाम देवाराम पुत्र गोबरराम दर्ज जो अशुद्व है। मेरे सभी दस्तावेज राशन कार्ड, परिचय पत्र, आधार कार्ड, बैक खाता व जन आधार कार्ड आदि दस्तावेजातो में मेरा नाम देराम राम पुत्र गोबरराम है नाम होने से प्रार्थी को अन्य सरकारी योजनाओं का फायदा प्राप्त करने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। प्रार्थी नें विप्रार्थी व हल्का पटवारी को राजस्व रेकर्ड में अंकित गलत इन्द्राज नाम देवाराम पुत्र गोबरराम की जगह देराम राम पुत्र गोबरराम दुरूस्त करवाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को सम्मन दिनांक 15.06.2022 को जारी किया गया । तहसीलदार कल्याणपुर को नोटिस बाद तामिल के पेश हुआ।

प्रार्थी को सुना गया तथा हमने प्रकरण का गौर से अवलोकन किया एवं प्रार्थी का सही नाम के सम्बन्ध में परिचय पत्र, आधार कार्ड,, बैक खाता व जन आधार कार्ड वं अन्य सरकारी व अन्य अर्द्वसरकारी दस्तावेजों सरंपच ग्राम पंचायत कल्या[illegible]नि.कल्याणपुर व हल्का पटवारी से फर्द मौका रिपोर्ट के आधा[illegible] अध्ययन किया गया। जिसमे प्रार्थी का सही ना[illegible]। आम पूछताछ करने पर पाया गया कि देवाराम पुत्र गोबर राम व देराम राम दोनो ए[illegible] व्यक्ति है। देराम राम पुत्र गोबरराम नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के आवेदन को [illegible]ीकार करने में किसी प्रकार की कोई आपति प्रतीत नहीं होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:48:03 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचन के आधार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मौजा कल्याणपुर पटवार क्षेत्र कल्याणपुर भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर

में प्रार्थी के खातेदारी भूमि के खेत खसरा संख्या 1036/337 व खाता संख्या 314 में प्रार्थी का अशुद्ध नाम देवाराम पुत्र गोबरराम के स्थान पर देराम राम पुत्र गोबरराम दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार कल्याणपुर को दिये जाते है।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 27.7.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:48:03 IST
Reason: SelfAttested